न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 167/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

कुलविन्द्रसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 34 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. त्रिलोकाराम पुत्र श्री हरीराम उर्फ सुखराम पुत्र मूलाराम निवासी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमरसिंह पुत्र चमकौरसिंह जाति जटसिख निवासी 40 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :

श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर राज.

आदेश

दिनांक : 11–07–2017

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 13–09–1989 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि त्रिलोकाराम अप्रार्थी सं0 1 ने गलत बयानी करके चक नं0 41 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर में मु0 नं0 90 पुराना व नया 82 में 24–15 बीघा बारानी भूमि टी0सी0 पर आवंटित करवा रखी है जबकि इसके पास इन्दिरा गॉधी नहर क्षेत्र की रोही कमरानियॉ व सरदारपुरा बीका में पुख्ता आवंटन भूमि है। अप्रार्थी सं0 2 ने धोखाधड़ी करके गॉव रामसरा कुम्हारान तहसील रायसिंहनगर में भूमि आवंटित करवा रखी है। चक 36 पी0एस0 में मु0 नं0 42 में 15–00 बीघा, मु0 नं0 52 में 25–00 बीघा कुल 40–00 बीघा बारानी कृषि भूमि टी0सी0 पर आवंटित करवा रखी है। इसके अलावा चमकौरसिंह के पिता अमरसिंह व उसके दादा के नाम से 41 पी0एस0 में सीलिंग सीमा से ज्यादा भूमि है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जॉच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र पर तहसील से रिपोर्ट एवं रेकार्ड मंगवाया गया। बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि तहसील रिपोर्ट दिनांक 23–11–95 के अनुसार त्रिलोकाराम के नाम चक 18 एस ए डी के पत्थर सं0 210/354 में 18–00 बीघा कमाण्ड मिसल नं0 1092 एफ श्रेणी डिप्टी सी0सी0 श्री विजयनगर के पत्रांक 1394 दिनांक 31–12–75 के द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवंटन शुदा है। हरीराम जो त्रिलोकाराम के पिता है, के नाम चक 41 पी0एस0 के मु0 नं0 60 की 24–10 बीघा नहरी भूमि एस0ओ0 पत्रांक 1075 दिनांक 10–976 द्वारा आवंटन की गई है। सैल रजिस्टर में क्रमांक 23/103 में दर्ज है। चक 36 पी0एस0 में मु0 नं0 पुराना 90 हाल 82 की 24–15 बीघा बारानी एस0डी0ओ0 रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 501 दिनांक 15–5–92 द्वारा पुख्ता आवंटन फरमाया गया है। तहसील रिपोर्ट दिनांक 11–9–98 के अनुसार उपजिलाधीश, रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 501–4 दिनांक 15–5–92 द्वारा त्रिलोकाराम को ग्राम खांटा में 24–15 बीघा बारानी भूमि आवंटन की गई है। आवंटी 41 पी0एस0 में आबाद रह कर काश्त कर रहे हैं। आवंटी के पिता हरी राम को उपजिलाधीश, श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 7045 दिनांक 10.9.76 द्वारा 41 पी0एस0 में मु0 नं0 60 की 24–10 बीघा नहरी भूमि का आवंटन किया गया है। चक 41 पी0एस0 की 24–10 बीघा भूमि मु0 चावली बेवा हरीराम, त्रिलोकाराम, श्योलाल, नारायणराम, सोहन लाल, कृष्णराम पिसरान हरीराम, सरबती, मनोहरी, भागा, कलावन्ती, सूरिया,लिछमाराम, मीतो दुख्तर हरीराम ब.हिस्सा बराबर के नाम है। उक्त भूमि मु0 चावली वगैरा पिसरान हरी राम की गैरखातेदारी एवं कब्जा काश्त है। आवंटी के पास उक्त भूमि के अलावा और भूमि नहीं है। उपरोक्त रिपोर्टस के अनुसार त्रिलोकाराम अप्रार्थी के पास चक 18 एस ए डी की 18–00 बीघा नहरी भूमि एवं 36 पी0एस0 के मु0 नं0 90 की 24–10 बीघा बारानी भूमि है। अप्रार्थी 25–00 बीघा नहरी भूमि की सीमा तक धारण कर सकता है, शेष भूमि बहक सरकार रिज्यूम की जानी चाहिये।

अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं है। प्रकरण वर्ष 1989 से विचाराधीन है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसील रिपोर्ट दिनांक 23–11–95 के अनुसार त्रिलोकाराम के नाम चक 18 एस ए डी के पत्थर सं0 210/354 में 18–00 बीघा कमाण्ड मिसल नं0 1092 एफ श्रेणी उपयुक्त उपनिवेशन, श्रीविजयनगर के पत्रांक 1394 दिनांक 31–12–75 के द्वारा आवंटन शुदा है। हरीराम जो त्रिलोकाराम के पिता है, के नाम चक 41 पी0एस0 के मु0 नं0 60 की 24–10 बीघा नहरी भूमि एस0ओ0 पत्रांक 1075 दिनांक 10–976 द्वारा आवंटन की गई है। सैल रजिस्टर में क्रमांक 23/103 में दर्ज है। चक 36 पी0एस0 में मु0 नं0 पुराना 90 हाल 82 की 24–15 बीघा बारानी एस0डी0ओ0 रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 501 दिनांक 15–5–92 द्वारा पुख्ता आवंटन फरमाया गया है। तहसील रिपोर्ट दिनांक 11–9–98 के अनुसार उपजिलाधीश, रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 501–4 दिनांक 15–5–92 द्वारा त्रिलोकाराम को ग्राम खांटा में 24–15 बीघा बारानी भूमि आवंटन की गई है। आवंटी 41 पी0एस0 में आबाद रह कर काश्त कर रहे हैं। आवंटी के पिता हरी राम को उपजिलाधीश, श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 7045 दिनांक 10.9.76 द्वारा 41 पी0एस0 में मु0 नं0 60 की 24–10 बीघा नहरी भूमि का आवंटन किया गया है।

इस प्रकार अप्रार्थी त्रिलोका राम के पास चक 18 एस ए डी के पत्थर सं0 210/354 में 18–00 बीघा कमाण्ड एवं चक 36 पी0एस0 में मु0 नं0 पुराना 90 हाल 82 की 24–15 बीघा बारानी एस0डी0ओ0 रायसिंहनगर के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश क्रमांक 501 दिनांक 15–5–92 द्वारा पुख्ता आवंटन फरमाया गया है। बारानी भूमि को नहरी में परिवर्तित करने पर 24–15 बीघा बारानी भूमि 12–08 बीघा नहरी भूमि के बराबर होती है। इस प्रकार त्रिलोका राम अप्रार्थी के पास 18–00 बीघा नहरी एवं 12–08 बीघा नहरी कुल 30–08 बीघा नहरी भूमि होती है। अप्रार्थी 25–00 बीघा भूमि की सीमा तक भूमि धारण करनेका अधिकारी है, शेष 04–12 बीघा भूमि अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः अप्रार्थी त्रिलोकाराम के द्वारा धारित की जा रही भूमि में 04–12 बीघा भूमि सीमा से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, रायसिंहनगर को आदेश दिये जाते हैं कि उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 23–11–95 के अनुसरण में त्रिलोकाराम द्वारा धारित भूमि में से 04–12 बीघा नहरी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर राजस्व अभिलेखों में आराजी राज दर्ज की जावे एवं नियमानुसार काश्त व्यवस्था कराई जावे। आदेश की प्रति मय रेकार्ड तहसीलदार, रायसिंहनगर को भेजा जावे। आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 11–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)